LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW
PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA, LUCKNOW

WARD :

PERMIT NO : MAP – 20180618162722810

PRINT DATE : 22.06.2019

FILE NO. : 32/AA MANCHITRA/18

SCHEME : SHALIMAR K.S.M.B.

PROJECT NON SCHEME MAP APPROVAL

PROPERTY : REVISED LAYOUT

SITE OF : GHAILA & ALINAGAR

NAME : SHALIMAR K.S.M.B. PROJECTS

ADDRESS : SHALIMAR K.S.M.B. PROJECT 24,
NEW BERRI ROAD, LUCKNOW

Sectioned wide order dated 07.03.2019 of prescribed Authority permission to development granted as sectioned revised layout enclosed subject the conditions mentioned on it and if noted below

Date o Validity : 06.03.2024

Restriction If Required :

Signature of the competent Authority (BHAWAN)

Under the U.P.

प्रतिबन्ध :—

1. भू–स्वामित्व एवं क्षेत्रफल सम्बन्धी भूमि विवाद के सम्बन्ध में पक्ष स्वयं जिम्मेदार होगा तथा विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. ग्राम–घैला एवं अलीनगर के अन्तर्गत गूल, नाली, चकरोड पर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। प्रस्तावित/निर्मित सुविधाओं के अन्तर्गत पडने वाले चकमार्गों के विनियम हेतु यथा आवश्यक कार्यवाही करने का समस्त उत्तरदायित्व पक्ष का होगा।
3. विद्युत संयोजन एवं वितरण की समुचित व्यवस्था कराने का समस्त उत्तरदायित्व पक्ष का रहेगा, जिसको स्वयं अपने व्यय पर करना होगा।
4. ले–आउट में दर्शित भूखण्डों का पृथक–पृथक मानचित्र नियमानुसार प्राधिकरण से स्वीकृत कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराना होगा।
5. 900 K.L.D क्षमता के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के अतिरिक्त 1600 K.L.D क्षमता की पूर्ति हेतु 700 K.L.D क्षमता का एस0टी0पी0 प्रस्तावित किया गया है, जिसे पूर्णता प्रमाण–पत्र से पूर्व अनिवार्य रूप से बनाना होगा एवं सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट डिस्पोजल के सम्बन्ध में डिटेल प्रस्तुत करनी होगी।
6. रोड वाइडनिंग/ग्रीन बेल्ट की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा एवं इसको प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखना होगा।
7. प्रस्तावित प्रत्येक रो–हाउसिंग भूखण्ड पर एकल आवास की स्वीकृति देय होगी एवं तदानुसार ही एकल इकाई का निर्माण अनुमन्य होगा।
8. संशोधित तलपट मानचित्र पर अंकित बन्धक भूमि को नियमानुसार अवमुक्त कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य सम्पादित करना होगा।
9. बन्धक विलेख की शर्तों तथा प्रार्थना पत्र एवं शपथ–पत्र के कथनों का अनुपालन पक्ष के लिये सदैव बाध्यकारी रहेगा।
10. अवस्थापना सुविधायें जैसे–सीवर ट्रीटमेन्ट एवं कूडा निस्तारण हेतु आरक्षित क्षेत्रफल को मानक के अनुरूप रखते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अपेक्षा अनुसार एस0टी0पी0 का विकास, सीवर तथा कूडा निस्तारण की व्यवस्था पक्ष द्वारा स्वयं सुनिश्चित की जायेगी।
11. विद्युत कनेक्शन, वर्षा जल का निकास, पीने के पानी की व्यवस्था आदि का विकास तथा कनेक्टीविटी पक्ष द्वारा स्वतः सुनिश्चित की जायेगी।
12. कालोनी के विकास तथा नगर निगम/स्थानीय संस्थाओं को स्थानान्तरण किये जाने तक रख–रखाव आदि की जिम्मेदारी स्वयं पक्ष की होगी।
13. प्रोजेक्ट के अन्तर्गत होने वाले समस्त निर्माण/विकास को निर्धारित विशिष्टयों के अनुरूप सुनिश्चित करना होगा।
14. ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण एंव रिचार्जिंग हेतु स्थल पर जलाशय, रिचार्ज/पिट तथा रिचार्ज शैफ्ट का निर्माण शासनादेशानुसार कराये जाने का समस्त उत्तरदायित्व पक्ष का होगा।
15. सड़कों, पार्कों तथा खुले स्थान पर ऐसे पेड–पौधों का वृक्षारोपण कराया जाय, जिससे जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा ग्रीष्म ऋतु में भी हरे भरे रह सके।
16. लैण्ड स्कैप प्लान/वृक्षारोपण का शासनादेशानुसार प्राविधान सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व पक्ष का होगा।
17. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र दिनांक 04.12.2018 के कथनानुसार पूर्व स्वीकृत/निर्मित ग्रुप हाउसिंग तथा कम्युनिटी सेन्टर के मानचित्रों का संशोधित मानचित्र अनिवार्य रूप से स्वीकृत कराने होंगे, उल्लंघन की दशा में पुनरीक्षित तलपट मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
18. प्रस्तुत किये गये संशोधित बन्धक विलेख मे बन्धक भूमि का कोई विक्रय/निर्माण तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक नियमानुसार अवमुक्तीकरण न करा लिया जाय।
19. सभी विभागीय अनापत्तियों में अंकित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
20. भविष्य में यदि कोई देयता निकलती है तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण कोष मं जमा करना होगा।
21. निर्माण/विकास कार्य पूर्ण करने के उपरान्त नियमानुसार प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।
22. पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्रों में अंकित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्ववत् पालन करना होगा।
23. प्रश्नगत भूमि/भवन के सम्बन्ध में यदि किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाये जाने की पुष्टि होती है तो धारा–15(9) के अन्तर्गत स्वीकृत संशोधित मानचित्र के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।